

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में ली0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पत्तिगत आवेदनों की संख्या	लक्षित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामलों में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा ली0सू0पदा0 पर आर्थिक दबाव तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुपस्थिति गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित वसुली की गयी आर्थिक दबाव की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी	श्री सुशील कुमार झा	77	75	2	1240	1	0	0	0	
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी	प्रशासन पदाधिकारी	(21नवम्बर)	(पंचदश)	(द्वै)	(15म एप्रिल)	(15म)	(22म)	(22म)	(22म)	
3	निदेशालय	निगम									
4	बोर्ड	पदाधिकारी									
5	प्राधिकार	निकाय									
6	अन्य										
7	कुल योग										
8											
9											

टिप्पणी - (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार कर सी0 डी0, पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में विहित प्रावधान के तहत जो मामले हैं उनके संबंध में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार कर सी0 डी0, पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) एवं (ङ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार कर सी0 डी0 पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के दिल्द किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार कर सी0 डी0 पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-2

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम अपीलीय पदा10 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निरस्तारित आवेदनों की संख्या	लिखित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी	श्री नंजय कुमार उष शर्मा - सह-प्रधान, अपीलीय पदाधिकारी	6 (छः)	6 (छः)	0 (शून्य)	50 (पचास)	0	
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी	प्रो. विष्णु, बिहार विधान परिषद						
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी— (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
 (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) एवं (ख) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।